कार्यालय – जिला कार्यक्रम अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक —— /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2025–26 दिनांक 13/11/2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि शासनादेश सं0– I/1092245/2025/3313/58–1–2025 (1917687) बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद बुलन्दशहर के वार्डवार/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रियों के तहत विभागीय वेब साइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत हैं:–

क्र0सं0	परियोजना का नाम	ग्रामीण/शहरी	ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों विवरण	ऑगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों विवरण
1	अगौता	ग्रामीण	1	22
2	अनूपशहर	ग्रामीण	2	52
3	अरनिया	ग्रामीण	2	38
4	बी0बी0 नगर	ग्रामीण	3	26
5	बुलन्दशहर	ग्रामीण/शहरी	55	117
6	दानपुर	ग्रामीण	0	14
7	डिबाई	ग्रामीण	1	53
8	गुलावठी	ग्रामीण	9	37
9	जहांगीराबाद	ग्रामीण	3	46
10	खुर्जा	ग्रामीण	4	102
11	लखावटी	ग्रामीण	2	21
12	पहासू	ग्रामीण	1	45
13	शिकारपुर	ग्रामीण	0	52
14	सिकन्द्राबाद	ग्रामीण	7	72
15	स्याना	ग्रामीण	1	40
16	ऊँचागॉव	ग्रामीण	0	29
योग			**91**	**766**

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रैट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई हैं। साथ ही विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड हैं।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:–

1– विज्ञप्ति पदो पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगीं।

2– रिक्त पदों (आंगनवाडी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं उसके समकक्ष होगीं।

3– आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम सभा/वार्ड (शहरी) का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा एवं ग्राम सभा में उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना अनिवार्य हैं।

4– आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ तिथि (01 जुलाई 2025) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

5–विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य होगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नही कियें जायेगें। दिनांक 14.11.2025 से उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैं।

6–विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 04.12.2025 मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

7– विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदो की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट या बढ़ सकती हैं।

8– यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती हैं, या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखो के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेगें, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। स्वयं उत्तरदायी होंगी। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाइन किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

9– गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।

10– जाति व निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकें।

11– आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका के पदो पर चयन की वरीयता क्रमानुसार निम्नवत हैं:–

(I) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(II) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यकता बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(III) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में बी0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(IV) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में विधवा ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(V) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में तलाकशुदा/परित्यकता ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

(VI) उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र) में ए0पी0एल0 अभ्यर्थी को वरीयता।

नोटः–(I) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल ही मान्य होगी।

(II) तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में विधिक/न्यायालय का आदेश ही मान्य होगा।

12– उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध हैं। साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल

विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में निर्धारित समयानुसार जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

भवदीया

(पूनम तिवारी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बुलन्दशहर

पृष्ठांकन सं0 सी०-1592 **/तद्दिनांक**

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषितः—

1— निदेशक, महोदया बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ।

2— जिलाधिकारी, महोदया बुलन्दशहर।

3— मुख्य विकास अधिकारी, महोदया बुलन्दशहर।

4— समस्त उपजिलाधिकारी, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

5— समस्त सदस्यगण चयन समिति, बुलन्दशहर।

6— समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित हैं कि विज्ञप्ति की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

7— समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित हैं कि सूचना/विज्ञप्ति को परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें। साथ ही सम्बन्धित ग्रामसभा/वार्ड के रिक्त पदों की जानकारी ग्राम प्रधान/सभासद को देना सुनिश्चित करे।

8— जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर को इस आशय से प्रेषित हैं कि उक्त विज्ञापन/विज्ञप्ति को न्यूनतम स्पेस में शासकीय दरो पर दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला समाचार पत्रो के अगले अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
बुलन्दशहर